कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 1481 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 14 अक्टूबर, 2020।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण, प्रपोजल सं0 (FP/UK/ROAD/40805/2019)

संदर्भः— कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाउॅ वृत्त के पत्रांक 63/12—I(2), दिनांक 04/07/2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 2148/22 याता0 दिनांक 12.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में चण्डाक से धारी मोटर मार्ग में दिनांक 08.10.2020 को वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग में 51 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे है, इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र चीड़ के वृक्षों से प्रभावित है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में अन्य वैकल्पिक समरेखण सम्भव नही है। अतः मार्ग के निर्माण हेतु तथा 341 स्थानीय जनता के लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत समरेखण ही उचित समझा गया।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

O/C

निरीक्षण आख्या

प्रस्ताव संख्या 40805/2019

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का नव निर्माण (ल0 5.000 किमी0)** का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ एवं प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ वनप्रभाग अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का नव निर्माण में कुल 51 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे है, यह क्षेत्र बॉज के अतिरिक्त चीड़ प्रजाति के वृक्षों से आच्छादित है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल में 0.29 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र, 0.63 हे0 सिविल व 0.99 हे0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त कोई ऐसा वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है, जिसमें वर्तमान में प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों से कम वृक्ष प्रभावित होते हो। वर्तमान समरेखण में प्रभावित होने वाले बॉज वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। वह प्रभावित बॉज वृक्षों के पातन के बगैर मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धारी व डुंगरी के 82 परिवारों की 341 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इस मोटर मार्ग से ग्राम धारी व डुंगरी के 82 परिवारों की 341 लोगों को लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रभावित वन भूमि को जनहित में हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

प्रारुप–22

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 8-10-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज		–	–	03	–	–	–	–	–	03
2.	सिविल सोयम		बाँज	Quercus leucotrichophora	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	वन पंचायत		बाँज		–	10	27	11	–	–	–	–	48
4.	संरक्षित वन		बाँज		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग :– वन भूमि				–	10	30	11	–	–	–	–	51
5.	नाप भूमि		बाँज		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग :–				–	10	30	11	–	–	–	–	51

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
वन संरक्षक,